भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1876
30 जुलाई, 2026 को उत्तर देने के लिए

खेत-से-बाजार मूल्य श्रृंखला एकीकरण

1876. **श्री बैजयंत पांडा:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या खेत-से-बाजार मूल्य श्रृंखला एकीकरण में कमियों की पहचान करने के लिए कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्राथमिकता वाली वस्तुओं की पहचान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए नए नीतिगत उपायों का प्रस्ताव किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने चयनित वस्तुओं के लिए प्रसंस्करण स्तर का अनुमान लगाने, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान का निर्धारण करने और अपनी जारी योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न अध्ययन किए हैं। तथापि, अब तक, एमओएफपीआई ने मूल्य श्रृंखला एकीकरण में कमियों की पहचान करने के लिए विशेष रूप से कोई मूल्यांकन नहीं किया है।

(ख) एमओएफपीआई की केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत, ऑपरेशन ग्रीन्स योजना वर्ष 2018-19 में टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) की मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए एफपीओ, कृषि-लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु ₹500 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू की गई थी। वर्ष 2021-22 में, इसके दायरे का विस्तार करके इसमें 22 विकारी फसलें शामिल की गईं।

योजना के दीर्घकालिक अंतःक्षेपों के अंतर्गत, मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत का 35% और कठिन क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमोटरों, एफपीओ और एसएचजी के लिए 50% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो प्रति परियोजना अधिकतम ₹15 करोड़ के अनुदान के अधीन है। यह योजना मांग आधारित प्रकृति की है, जिसमें समय-समय पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से परियोजनाओं का चयन किया जाता है। अब तक, मंत्रालय ने देश में कुल 36 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल परियोजना लागत ₹1466.74 करोड़ है और अनुदान सहायता के रूप में ₹376.81 करोड़ की मंजूरी दी गई है। योजनाओं के अंतर्गत चयनित 22 विकारी फसलें निम्नलिखित हैं:

i. फल: आम, केला, सेब, अनानास, संतरा, अंगूर, आंवला, अनार, अमरूद, लीची;

ii. सब्जियां: टमाटर, प्याज, आलू, मटर, गाजर, फूलगोभी, बीन्स, कद्दू वर्गीय [कद्दू, करेला, तोराई, परवल और पेठा], भिंडी, लहसुन, अदरक;

iii. समुद्री: झींगा

(ग)और (घ) एमओएफपीआई विभिन्न पहलों योजनाओं अर्थात प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के कार्यान्वयन के माध्यम से सम्पूर्ण देश में आधुनिक प्रसंस्करण और परिरक्षण अवसंरचना सृजन, शीत श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं, मूल्य वर्धन, बाजार संपर्क, सूक्ष्म उद्यमों के औपचारिकीकरण और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार और निवेश को बढ़ावा देने के माध्यम से पूरे देश में खाद्य प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करता हैं। अभी तक, मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए कोई विशेष नया नीतिगत दस्तावेज प्रस्तावित नहीं किया गया है। तथापि, सरकार पूरे देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए समय-समय पर उपयुक्त अंतःक्षेपों को शुरू करने हेतु मौजूदा नीतिगत ढांचे की लगातार समीक्षा करती रहती है।
